अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 23.12.2014 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न विकास समन्वय समिति की मासिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति – यथा पंजी।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व बैठक में भाग लेने वाले सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि आगामी बैठकों में निर्धारित समय तक निश्चित रूप से उपस्थित होंगे तथा प्रदत्त निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

यह स्थिति काफी खेदजनक है कि कोई भी पदाधिकारी बैठक में किसी प्रकार का प्रतिवेदन अपने साथ लेकर नहीं आये हैं और न ही किसी प्रकार का प्रतिवेदन संकलित कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित ही किया गया है। उक्त के संबंध में उप विकास आयुक्त, मुंगेर तथा निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर को यह संयुक्त रूप से जिम्मेवारी दी जाती है कि आगामी बैठक के दो दिन पूर्व अधोहस्ताक्षरी को संकलित प्रतिवेदन (प्रथम भाग में जनकल्याणकारी योजनाओं, यथा–सामाजिक सुरक्षा/कल्याण/पंचायती राज/ग्रामीण विकास/कृषि/कब्रिस्तान घेराबन्दी/श्रम/AC/DC Bill आदि तथा दूसरे भाग में मानवाधिकार/लोकायुक्त/सूचना का अधिकार/जनशिकायत/CWJC/MJC/RTPS आदि का समावेश अवश्य हो) निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाये। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निम्नांकित महत्वपूर्ण निदेश दिये गये :-

- बैठक के दौरान जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा RTPS काउण्टर पर BIT तथा Ex.Asst. की दैनिक उपस्थिति दर्ज करने हेतु तैयार किये online उपस्थिति का powerpoint presentation के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इसी क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों/कार्यक्रम पदाधिकारियों, मनरेगा को निदेश दिया गया कि प्रथमतः उक्त व्यवस्था के नियमतिकरण हेतु एक सप्ताह तक अपनी–अपनी उपस्थिति online के माध्यम से दर्ज करेंगे।
- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने कार्यो का एजेन्डा तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर कार्यो का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी अवकाश आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी से अग्रसारित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे तथा विशेष परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरी से सीधे मोबाईल से सम्पर्क कर स्वीकृति प्राप्त कर ही अवकाश का उपभोग करेंगे। अवकाश की सूचना उप विकास आयुक्त, मुंगेर को भी निश्चित रूप से देंगे।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत दी जाने वाली पेंशन का वितरण योग्य/अहर्तित लाभुकों तक निश्चित रूप से पहुँचे। पेंशन वितरण हेतु सभी प्रखंडों/पंचायतों में लगाये गये शिविरों की समाप्ति के उपरान्त योजनावार एवं घटकवार पेंशनधारियों की सूची सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही शिविर आयोजन में वितरण के बावजूद यदि कोई व्यक्ति पेंशन के योग्य है, परन्तु वह पेंशनधारी बनने से छूट गया है तो उसे निश्चित रूप से पेंशन का लाभ देने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- विकासोन्मुखी योजनाओं की सूची निश्चित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी तैयार करेंगे तथा उसे यथासमय पूर्ण कराने की नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

➢ पूर्व में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया था कि नियमित रूप से प्रखंड/अंचल में कार्यरत् RTPS काउण्टर का निरीक्षण करेंगे, परन्तु उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया जाना अत्यन्त ही खेदजनक है। अतः सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नियमित तौर पर RTPS काउण्टर का निरीक्षण अवश्य करेंगे तथा प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

➢ अधोहस्ताक्षरी द्वारा किए गए विभिन्न प्रखंडों/कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि प्रखंड में पदस्थापित पर्यवेक्षक स्तरीय पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण को आधार बनाकर प्रखंड मुख्यालय में नहीं रहते हैं तथा उपस्थिति भी नहीं बनाते हैं। अतः उपरोक्त व्यवस्था में सुधार करने के निमित्त सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रखंड में पदस्थापित सभी पर्यवेक्षक स्तरीय पदाधिकारियों को इस आशय से अवगत करायेंगे कि प्रतिदिन वे सर्वप्रथम कार्यालय आकर अपनी उपस्थिति बनायेंगे तभी क्षेत्र भ्रमण के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसा नहीं करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

➢ प्रखंड के कुष्ठ रोगियों का सर्वेक्षण कर उसकी सूची अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

➢ अनुमंडल पदाधिकारी पाक्षिक प्रतिवेदन नियमित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

➢ बैठक के दौरान सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के अनुशंसोपरान्त बी0आर0जी0एफ0 एवं अन्य विकासपरक योजनाओं की जाँच हेतु तारापुर के पड़भरा, खड़गपुर के कौड़िया, सदर के तारापुर दियारा, बरियारपुर के करहरिया पूर्वी तथा धरहरा के औड़ाबगीचा पंचायतों का चयन किया गया। उक्त पंचायतों में चल रही विकासोन्मुखी योजनाओं की जाँच हेतु जाँच पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति आदेश उप विकास आयुक्त, मुंगेर अपने स्तर से निर्गत करेंगे।

➢ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी समय-समय पर प्रखंड में संधारित कैशबुक की जाँच कर सुनिश्चित होंगे कि बची हुई राशि किस मद की है और किसी मद में यदि राशि बची हुई है और उक्त योजना चल रही है तो किस परिस्थिति में राशि बची हुई है ?

➢ प्रखंड/अंचल के नामित वरीय पदाधिकारी (Mentor) अथवा निरीक्षी पदाधिकारी को निरीक्षण के समय मांगे जाने पर संबंधित अभिलेख/संचिका/पत्र इत्यादि उपलब्ध करायेंगे।

➢ सर्वेक्षणोपरान्त पी.एच.एच. कार्ड से वंचित अनु0जाति/अनु0जनजाति के परिवारों को इस योजना का लाभ दिये जाने हेतु बैठक के क्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को संबंधित प्रपत्र उपलब्ध कराया गया तथा निदेश दिया गया कि प्रपत्रानुसार छूटे हुए सभी अनु0जाति/अनु0जनजाति के परिवारों का सर्वेक्षण विकास मित्र के माध्यम से कर लें ताकि अर्हता रखने वाले परिवारों को पी.एच.एच. कार्ड का लाभ दिया जा सके। यह विशेष ध्यान रखेंगे कि अनु0जाति/अनु0जनजाति कोटि के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दिया जाना है। उक्त कार्य किसी भी परिस्थिति में 20 जनवरी, 2015 तक निश्चित रूप से पूरा कर लेने का निदेश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया तथा अनुमंडल पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी (Mentor) इसका नियमित तौर पर अनुश्रवण करेंगे।

तदोपरान्त निम्नांकित महत्वपूर्ण योजनाओं का विस्तृत रूप से समीक्षा की गई एवं संबंधित पदाधिकारियों को उक्त योजना में उत्तरोत्तर प्रगति अर्जित करने हेतु निदेश दिये गये :-

1) **इंदिरा आवास योजना** :-

- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विकलांग तथा अल्पसंख्यक परिवारों के लिए इंदिरा आवास निर्माण हेतु आवंटन की आवश्यकता संबंधी प्रतिवेदन यथाशीघ्र उप विकास आयुक्त, मुंगेर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- समीक्षा के दौरान परिलक्षित हुआ कि एम.पी.आर. भेजने के उपरान्त द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान तारापुर में 30, असरगंज-27, संग्रामपुर-37, धरहरा-42, जमालपुर-34, सदर-22, बरियारपुर-28, खड़गपुर-42 किया गया है तथा कार्यक्रम पदाधिकारी, टेटियाबम्बर द्वारा यह बताया जाना अत्यन्त ही खेदजनक है कि कम्प्यूटर ऑपरेटर के बीमार होने की वजह से इंट्री का कार्य नहीं किया जा सका है। इस हेतु बैठक अवधि में ही श्री अभिनन्दन मिश्रा-8084331806 तथा श्री मनीष कुमार-8092800445 का सम्पर्क संख्या सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया तथा निदेश दिया गया कि MIS entry में किसी प्रकार की समस्या होने पर सीधे इनसे सम्पर्क करेंगे।

2) **मनरेगा** :-

बैठके के दौरान निम्नांकित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया गया :-

क्र0	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	एम0आई0एस0 पर अवशेष राशि की स्थिति (लाख में)	एम0आई0एस0 पर पैमेंट ड्यू की स्थिति (लाख में)
1	असरगंज	अमैया	2.31	0.53
		जोरारी	6.03	0.03
		रहमतपुर	5.45	0.19
2	बरियारपुर	बरियारपुर द0	2.07	0.17
		बिंदादियारा	4.6	0.02
		करहरिया पूर्वी	2.66	0.07
		नीरपुर	2.67	0.28
		[illegible]रिया	3.97	2.99
3	धरहरा	बंगलवा	2.4	0.15
		धरहरा द0	1.18	0.5
		हेमजापुर	0.5	0.35
		महगामा	3.19	0.6
		माताडीह	3.76	0.04
		शिवकुंड	1.00	0.4
4	जमालपुर	बांक	2.38	0.02
		इन्द्ररुख पश्चिमी	4.79	0.66
		रामपुरकला	5.05	0.58
		सिंधिया	3.29	0.07
5	संग्रामपुर	बल्लैनियाँ	2.34	0.32
		दु[illegible]पुर	3.31	0.93
		झिकुली	0.69	0.15
		रामपुर	0.89	0.28
6	तारापुर	बेलाडीह	3.23	0.47
		धोबई	0.89	0.49
		गाजीपुर	2.64	0.17
		गनैली	5.72	0.15
		मानिकपुर	1.99	0.04
		तारापुर	1.25	0.4
7	टेटियाबम्बर	धौरी	3.05	0.99
		नोनाजी	6.52	2.64
		[illegible]टेया	1.32	1.63
		केशौली	2.41	0.16
8	ह0 खड़गपुर	कौड़िया	3.68	2.53
		मझगांय	0.5	0.2
		मुढ़ेरी	0.37	0.19
9	सदर	नौवागढ़ी दक्षिणी	0.77	0.44
		शंकरपुर	1.18	1.04